

प्रेस नोट

28/06/2026

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वांछित/वारंटी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण -

1. थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा दिनांक 28.06.2026 को वारंटी अभियुक्त गुडडू पुत्र भोला निवासी रायपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
2. थाना घोसी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्ता जमुना देवी पत्नी सरवन निवासी चकिया थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय चालान किया गया ।

थाना रानीपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा, फ्रॉड हुए 50,000/- रुपये पीडित को वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरूकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद व थानाध्यक्ष रानीपुर के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडिता निशा गुप्ता पत्नी धीरेन्द्र प्रसाद साहू सा0 फतेहपुर थाना रानीपुर जनपद 50000/- रुपये की धनराशि अंजान व्यक्ति द्वारा फ्राड कर ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी । उक्त शिकायत के आधार पर थाना रानीपुर में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीडित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 50000/- रुपये वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 28.06.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 34 टीम गठित कर जनपद के 40 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1350 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 490 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 04 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।